

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 885 सन 2020

अनवान :-

1. सुलतान पुत्र हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
2. कैलाश उर्फ काली पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
3. गुडडी पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
4. रेशमी पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
5. सावित्री पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 77/47 के खसरा न0 20/1 की 2.5550हैक् व खाता संख्या 241/227 के खसरा न0 113/4 की 3.7950हैक् खसरा न0 304/1 की 2.3130हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तिजा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है । उक्त भूमि पूर्व में वादी के हीराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता हे वादी के पिता हीराराम का देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


वादी की माता तीजा पत्नि हीराराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो तीजा पत्नि हीराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने है एवं हीराराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता हीराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है वादी की माता तीजा पत्नि हीराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

ता 5 है जो तीजा के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 77/47 के खसरा न0 20/1 की 2.5550हैक् व खाता संख्या 241/227 के खसरा न0 113/4 की 3.7950हैक् खसरा न0 304/1 की 2.3130हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तिजा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के हीराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता हे वादी के पिता हीराराम का देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व तीजा के नाम से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी की माता तीजा पत्नि हीराराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो तीजा पत्नि हीराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने है एवं हीराराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 77/47 के खसरा न0 20/1 की 2.5550हैक् व खाता संख्या 241/227 के खसरा न0 113/4 की 3.7950हैक् खसरा न0 304/1 की 2.3130हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तिजा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के हीराराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता हे वादी के पिता हीराराम का देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व तीजा के नाम से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी की माता तीजा पत्नी हीराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो तीजा पत्नी हीराराम की भूमि पाने के अधिकारी है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में तीजा का मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बोहर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्या होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 77/47 के खसरा न0 20/1 की 2.5550हैक् व खाता संख्या 241/227 के खसरा न0 113/4 की 3.7950हैक् खसरा न0 304/1 की 2.3130हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तिजा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 खसरा न0 20/1 के दक्षिणी पासा की 1.2775हैक् एवं रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 241/227 के खसरा न0 113/4 की उत्तरी पूर्वी कोना की 0.741हैक् खसरा न0 304/1 की 2.3130हैक् कुल 4.3315हैक् भूमि एवं वादी के पास रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 77/47 के खसरा न0 20/1 की उत्तरी पासा की 1.2775हैक् एवं रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 241/227 के खसरा न0 113/4 की उत्तरी कोना की 0.741हैक् भूमि छोडकर 3.0540हैक् कुल 4.3315हैक् भूमि रहेगी तिजा पत्नी हीराराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुलतान पुत्र हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
2. कैलाश उर्फ काली पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
3. गुडडी पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
4. रेशमी पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
5. सावित्री पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 885 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 77/47 के खसरा न0 20/1 की 2.5550हैक व खाता संख्या 241/227 के खसरा न0 113/4 की 3.7950हैक खसरा न0 304/1 की 2.3130हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तिजा व.प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 खसरा न0 20/1 के दक्षिणी पासा की 1.2775हैक एवं रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 241/227 के खसरा न0 113/4 की उत्तरी पूर्वी कोना की 0.741हैक खसरा न0 304/1 की 2.3130हैक कुल 4.3315हैक भूमि एवं वादी के पास रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 77/47 के खसरा न0 20/1 की उत्तरी पासा की 1.2775हैक एवं रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 241/227 के खसरा न0 113/4 की उत्तरी कोना की 0.741हैक भूमि छोडकर 3.0540हैक कुल 4.3315हैक भूमि रहेगी तिजा पत्नी हीराराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
नोहर

## संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुलतान पुत्र हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
2. कैलाश उर्फ काली पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
3. गुडडी पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
4. रेशमी पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
5. सावित्री पुत्री हीराराम जाति मेधवाल निवासी मुन्सरी तहसील नोहरं।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 885 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/01/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 का नाम सावित्री पुत्री हीराराम के स्थान सावत्री उर्फ सुरस्ती पुत्री हीराराम संशोधित किया जाता है शेष डिक्री यथावत रहेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते